उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928 | GSTN: 09AAACU5088M4ZM

कारपोरेट टैक्स (जी.एस.टी. सेल) Corporate Tax (GST Cell)

कक्ष संख्या– 320,तृतीय तल, शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001, ई–मेल - dgmtaxuppcl@gmail.com

Room No.– 320 IIIrd Floor, Shakti Bhawan, 14-Ashok Marg, Lucknow-226001, RAX – 8320,

पत्र सं0: 395/का0 टैक्स एवं जी0एस0टी0/2020/ TCS

दिनांक: 17/09/2020

ई–मेल

अति महत्वपूर्ण

निदेशक (वाणिज्य)/(वितरण)/(का0प्र0 एवं प्रशा0)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
शक्ति भवन, लखनऊ।

निदेशक (वित्त)/(तकनीकी)/(वाणिज्य)/(का0 एवं प्रशा0)
मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/केस्को
लखनऊ/वाराणसी/ मेरठ/आगरा/कानपुर।

विषय: **Tax Collected at Source (TCS) की नवीन धारा 206C(1H) दिनांक 01.10.2020 से लागू होने के सम्बन्ध में।**

कृपया अवगत कराना चाहेंगे कि भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय बजट में Finance Act, 2020 के अन्तर्गत Tax Collected at Source (TCS) की धारा 206(C) में एक नवीन प्रावधान (1H) का समावेश किया गया है जो दिनांक 01.10.2020 से प्रभावी हो जायेगी। TCS से सम्बन्धित नवीन धारा 206C(1H) के अनुसार

"Every person being a seller, who receives any amount as consideration for sale of any goods of the value or aggregate of such value exceeding fifty lakh rupees in any previous year, other than the goods covered in sub-section (1) or sub-section (1F) or sub-section (1G) shall at the time of receipt of such amount, collect from the buyer, a sum equal to 0.1 percent of the sale consideration exceeding fifty lakh rupees as income-tax"

TCS is not required to be collected in following cases:

i. If consideration received for sale of goods of the value or aggregate of such value does not exceed Rs. 50 Lakhs in any year.
ii. If the buyer is liable to deduct TDS under any provisions of the Income Tax Act.
iii. If goods are exported.
iv. If goods are sold to the Central Govt, State Govt, an Embassy, a High Commissioner, Consulate, Legation, Commission and Trade Representative of a foreign State, Local Authority.

उपरोक्त श्रेणी को छोड़कर अन्य क्रेता को वस्तुओं की बिक्री (विद्युत सहित) रू0 50 लाख से अधिक धनराशि प्राप्त होने पर 0.1 प्रतिशत एवं पैन/आधार न दिये जाने पर 1 प्रतिशत TCS के रूप में विक्रेता द्वारा क्रेता से संग्रह किया जायेगा एवं प्राप्त पैन पर क्रेडिट किया जायेगा। यदि क्रेता द्वारा क्रय किये गये Goods पर किसी धारा के अधीन TDS की कटौती की जाती है तो ऐसी स्थिति में विक्रेता द्वारा उक्त Transaction पर TCS Collect नहीं किया जायेगा एवं स्क्रैप की बिक्री पर पूर्व की भाँति आयकर प्रावधानों के अनुसार TCS के रूप में कर संग्रह किया जायेगा।

"विद्युत भी एक वस्तु है", जैसा कि विदित है उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 विद्युत का क्रेता और विक्रेता दोनों है। अतः नवीन धारा 206C(1H) उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 पर भी लागू होगी।

"उपरोक्त प्रावधान वस्तुओं की बिक्री (Sale of Goods) **पर लागू होंगे, कार्य/सेवाओं पर नहीं।"**

संज्ञानित कराना चाहेंगे कि CBDT प्रेस रिलीज दिनांक 13.05.2020 के द्वारा उपरोक्त धारा के अन्तर्गत किसी वस्तु की रू0 50 लाख से अधिक के विक्रय पर 0.075 प्रतिशत एवं पैन उपलब्ध न कराने पर 0.75 प्रतिशत (Reduced rate from 01.10.2020 to 31.03.2021) की दर से विक्रेता द्वारा क्रेता से TCS वसूला जायेगा, चूंकि विद्युत भी कर प्रावधानों हेतु वस्तु की श्रेणी में आती है, अतः उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा विभिन्न डिस्कॉमों के माध्यम से विक्रय होने वाली विद्युत की राशि पर भी उपरोक्त धारा में TCS की देयता उत्पन्न होगी एवं डिस्कॉम द्वारा अपने विद्युत उपभोक्ताओं को रू0 50 लाख से अधिक के विद्युत विक्रय पर प्राप्त धनराशि पर भी 0.075 प्रतिशत की दर से TCS की देयता उत्पन्न होगी।

डिस्कॉम द्वारा किसी अन्य डिस्कॉम/संस्था/व्यक्ति को धनराशि रू0 50 लाख से अधिक की कोई वस्तु (सामाग्री) इत्यादि की बिक्री की जायेगी तो उसके सापेक्ष प्राप्त होने वाली धनराशि/समायोजन पर TCS की देयता उत्पन्न होगी।

डिस्कॉम द्वारा भी विभिन्न निर्माताओं/विक्रेताओं से सामाग्री का क्रय किया जाता है तो रू0 50 लाख से अधिक की सामाग्री पर विक्रेता द्वारा TCS संग्रह किया जायेगा। अतः डिस्कॉम भी विक्रेताओं (Venders) को अपनी कम्पनी का

Awasthi

PCL 4

PAN No. उपलब्ध करा दें जिससे डिस्कॉम के 26AS में TCS की धनराशि दर्शित हो सकें एवं डिस्कॉम उसका क्रेडिट/रिफण्ड प्राप्त कर सकें।

इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा जिन संस्थाओं से विद्युत क्रय की जाती है उन्हें उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 का PAN (AAACU5088M) उपलब्ध करा दिया जाये जिससे उनके द्वारा TCS मद में प्राप्त की गई धनराशि का संग्रह 26AS में सही दर्शित हो सके एवं उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा आयकर विवरणी दाखिल करते समय TCS का समायोजन/वापसी प्राप्त की जा सके। चूंकि विद्युत क्रय का लेखांकन विद्युत आयात–निर्यात एवं भुगतान मण्डल इकाई द्वारा किया जाता है, अतः TCS का लेखांकन भी उनके द्वारा किया जायेगा एवं प्रत्येक त्रैमासिक में Form 26AS से Party wise मिलान कराना भी सुनिश्चित किया जायेगा।

प्रत्येक माह में संग्रहित की गयी TCS की धनराशि विक्रेता द्वारा आयकर विभाग में जमा की जायेगी एवं निर्धारित तिथि तक त्रैमासिक रिटर्न (27EQ) फाइल करने के उपरान्त TCS Certificate निर्गत किया जायेगा, जिसका तिथिवार विवरण निम्नलिखित तालिका अनुसार सुनिश्चित किया जाना होगा :

Collection Month	Quarter Ending	Due date of Payment	Due Date of filing return Form 27EQ	Due date for Issue of TCS certificate under Form-27D
April	30th June	7th May	15th July	30th July
May		7th June		
June		7th July		
July	30th September	7th August	15th October	30th October
August		7th September		
September		7th October		
October	31th December	7th November	15th January	30th January
November		7th December		
December		7th January		
January	31th March	7th February	15th May	30th May
February		7th March		
March		7th April		

डिस्कॉम द्वारा प्रत्येक माह की 02 तारीख तक विद्युत उपभोक्ताओं (ऐसे उपभोक्ता जिनसे TCS मद में धनराशि संग्रह की गयी हो) से प्राप्त राजस्व में TCS के मद की राशि का माँगपत्र उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निधि अनुभाग को प्रेषित करेंगे, जिससे उन्हें आयकर विभाग में TCS जमा करने हेतु धनराशि समय से अवमुक्त की जा सके, अन्यथा की स्थिति में डिस्कॉम द्वारा TCS की धनराशि अपने आन्तरिक संसाधनों से जमा करने के उपरान्त चालान की प्रति उपलब्ध कराते हुए उसकी प्रतिपूर्ति कारपोरेशन मुख्यालय से प्राप्त की जायेगी।

संलग्नक:– **Section 1(II)**

(ए0 के0 अवस्थी)
मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा)

पत्रांक 395/का0 टैक्स एवं जी0एस0टी0/2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निजी सचिव अध्यक्ष, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निजी सचिव प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल/केस्को, विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/वाराणसी/आगरा/मेरठ/कानपुर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, आर0ए0पी0डी0आर0पी0, पार्ट–ए, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त TCS की व्यवस्था को Billing Software/ERP System में लागू कराना सुनिश्चित करें।
5. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत आयात–निर्यात एवं भुगतान मण्डल उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. उपमहाप्रबन्धक (लेखा), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को TCS से सम्बन्धित लेखाशीर्ष आवंटित करने हेतु प्रेषित।
7. उप महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), केस्को, कानपुर।
8. उपमहाप्रबन्धक (सामग्री प्रबन्ध) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक:– Section 1(II)

(ए0 के0 अवस्थी)
मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा)